भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2704

उत्तर देने की तारीख 09.03.2026

ज्ञान भारतम मिशन

2704. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
श्रीमती भारती पारधी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को समाप्त होने से बचाने के लिए दस्तावेजों की पहचान करने और प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के लिए वर्ष 2026-27 में की गई बजटीय वृद्धि और उत्खनन और निगरानी के लिए एलआईडीएआर और ड्रोन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को संस्थापित करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में जनता के लिए विरासत स्थलों को पुनः अधिकार में लेने हेतु केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कानूनी उपाय कर रही है;

(घ) स्थलों की ऐतिहासिक अखंडता से समझौता किए बिना 'स्मारक मित्रों' के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त डिजिटल और संरचनात्मक सुधारों ने ऐतिहासिक अभिलेखागारों तक पहुंच का सामान्यीकरण करके भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के विजन में किस प्रकार योगदान दिया है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी हाँ। ज्ञान भारतम, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान की गई थी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (एमओसी), भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका

उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को खोजना, सुरक्षित करना और परिरक्षित करना है।

इस पहल में सहायता प्रदान करने के लिए, स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने विभिन्न घटकों के तहत पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और पंजीकरण, मजबूत प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं साझेदारी के निर्माण, पांडुलिपियों के प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रकाशन तथा क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान सहित पांडुलिपियों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वर्ष 2025-2031 की अवधि के लिए 491.66 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

(ख): जहाँ तक वर्ष 2026-27 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के बजट में वृद्धि का संबंध है, संसद द्वारा विनियोग विधेयक (2026-27) को अनुमोदित किया जाना और राष्ट्रपति की सहमति मिलना बाकी है।

अन्वेषण और उत्खनन के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) लिडार, जीपीआर और ड्रोन सर्वेक्षण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। राजगीर (बिहार), राखीगढ़ी (हरियाणा), भीष्मकनगर (अरुणाचल प्रदेश) और वारंगल किला (तेलंगाना) जैसे कुछ पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन से पहले लिडार, जीपीआर और ड्रोन सर्वेक्षण किए गए थे।

इन उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग उत्खनन से पूर्व की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग): महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित देश भर में केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियमित रूप से निरीक्षण करता है और अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को रोकने के लिए नोटिस जारी करता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के प्रावधानों के साथ-साथ सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाती है।

(घ): 'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' कार्यक्रम, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए है, सितंबर 2023 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों /न्यासों/सोसाइटियों आदि के साथ भागीदारी के लिए एक ढांचा तैयार करना है ताकि संरक्षित स्मारकों में सुविधाओं का विकास/प्रावधान किया जा सके, जिससे आगंतुकों के अनुभव को बेहतर और उन्हें पर्यटक-अनुकूल बनाया जा सके।

हितधारकों या भागीदार संस्थाओं की भूमिका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मार्गदर्शन और उचित परामर्श के तहत बुनियादी पर्यटक सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, शिशु देखभाल कक्ष, बेंच, रास्ते, कूड़ेदान, संकेतक, ध्वनि और प्रकाश शो, प्रदीप्तिकरण आदि के अलावा स्मारक परिसर की सफाई जैसे केवल गैर-संरक्षण पहलुओं तक सीमित है।

पुरातात्विक संरक्षण से संबंधित कार्य और संरक्षित स्मारकों/स्थलों के परिरक्षण का कार्य विशेष रूप से एएसआई के विशेषज्ञों द्वारा मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुसार ही किया जाता है।

(ड.): राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने ऑनलाइन पोर्टल 'अभिलेख-पटल' के माध्यम से राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने और इसके उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक बड़ी डिजिटलीकरण पहल शुरू की है ताकि अभिलेखीय रिकॉर्ड को विश्व स्तर पर सुलभ बनाया जा सके। फरवरी 2026 तक, इस पोर्टल पर 0.73 करोड़ संदर्भ मीडिया, 0.38 करोड़ डिजिटल रिकॉर्ड और 18.23 करोड़ से अधिक पृष्ठ उपलब्ध हैं, जिसे अब तक 1,87,961 विशिष्ट आगंतुक और 35,167 पंजीकृत उपयोगकर्ता देख चुके हैं।
